

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नया रायपुर  
आदेश

08 APR 2013

रायपुर, दिनांक

क्रमांक—एफ—1—16 / 2008 / सात—3:: राज्य शासन एतद् द्वारा उप आयुक्त भू—अभिलेख, कार्यालय आयुक्त भू—अभिलेख छोगो रायपुर को वित्तीय अधिकार पुस्तक भाग—1 खण्ड—1, सरल क्रमांक—3 के तहत छोगो विंसो जिल्द एक, नियम—2 (23) विंवि० का ज्ञाप क्रमांक ई—17 / 2 / 79—नियम—पांच/चार, दिनांक 31.12.79 के तहत अपर आयुक्त भू—अभिलेख की पदस्थापना होने तक कार्यालय प्रमुख घोषित करता है।

02. अपर आयुक्त भू—अभिलेख की पदस्थापना होने पर यह आदेश स्वमेव शून्य माना जावेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

*(QW) ४/५/१३*  
(सी० तिर्की)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ० क्रमांक एफ—1—16 / 2008 / सात—3,

रायपुर, दिनांक 08 APR 2013

प्रतिलिपि:-

01. विशेष सहायक, माननीय मंत्री, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
02. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़ रायपुर।
03. सचिव, छोगो शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निज सहायक, मंत्रालय, रायपुर।
04. आयुक्त, भू—अभिलेख, छत्तीसगढ़, रायपुर।
05. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़।
06. समस्त कलेक्टर्स छत्तीसगढ़।
07. उपायुक्त, भू—अभिलेख, जिला रायपुर, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा।
08. कोषालय अधिकारी जिला रायपुर।
09. संचालक, NIC मंत्रालय, रायपुर की ओर राजस्व विभाग की वेबसाइट <http://cg.nic.in/revenue> में अपलोड करने हेतु प्रेषित,
10. आर्डर बुक।
11. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

*(QW) ४/५/१३*  
अवर सचिव

छोगो शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

